न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 81/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. किशनलाल पिता माना ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. परसराम पिता माना ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. लेहरू पिता भैरा त्रिवेदी निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मांगीलाल पिता हीरालाल व्यास निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नारायण पिता हजारी गर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भेजाराम पिता दीपा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. कैलाश पिता भंवरलाल त्रिवेदी निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मांगीलाल पिता लेहरूलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 जेसुलाल पिता मोतीलाल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षी स0 1

निर्णय

दिनांक 07.03.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 11 में अंकित आराजी स. 217 रकबा 0.11 हैक्ट. आराजी संख्या 227 रकबा 0.19 हैक्ट. आराजी संख्या 229 रकबा 0. 16 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.46 हैक्ट. भूमिया अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में आये दिन वपक्षी गण से विवाद बना रहता है। तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि आराजियात में दखलअंदाजी करते रहते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराया परन्तु विपक्षीगण नही मान रहै है तथा प्रार्थीगण की भूमि में जबरन दिवार बना रहै है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.06.2017 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 05.07.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी

संख्या 1 की और से हरिश टेलर अधिवक्ता की और से अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 3 से 5 एवं 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 2 एवं 6 के विरूद्व प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब पेश नही किया जिससे जवाब बन्द किया जाता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 11 में अंकित आराजी स. 217 रकबा 0.11 हैक्ट. आराजी संख्या 227 रकबा 0.19 हैक्ट. आराजी संख्या 229 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.46 हैक्ट. भूमिया अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा